



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक जुलाई 30, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 573 वाहनों का चालान किया तथा 06 वाहनों से 5500/- रू० का समन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोनमती पुत्र नन्दू नि० दुर्गापुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 143/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अयोध्या मद्धेशिया पुत्र तपेरिक मद्धेशिया नि० धर्मपुर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 302/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त भगवान साहनी पुत्र स्व० सीताराम नि० पिपरा सोहट थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 120/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लालती देवी पत्नी स्व० श्रवण चौहान नि० भोरी बढैपुरवां थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे 53 शीशी देशी व 24 शीशी किंगफिशर अंग्रेजी बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 158/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामाज्ञा पुत्र अमरजीत पासवान नि० पनेवा पनेई थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना सिन्दुरिया पर मु०अ०सं० 104/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रमेश साहनी पुत्र रामवृक्ष नि0 डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामभवन उर्फ मोटे पुत्र तीरथ नि0 करमहा बुजुर्ग थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज व अभियुक्त रामधनी गुप्ता पुत्र बबलू नि0 सिंहपुर थरौली थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामसुमेर पुत्र रामअचल 2. सुबाष पुत्र रामअचल नि0 सौरहा टोला पिपरहना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शहबान पुत्र इसराइल नि0 व थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राहुल निषाद पुत्र निरंजन नि0 बरगदवां चौराहा 2. अभियुक्त मंदीप पुत्र कोईल लक्ष्मीपुर जरलहिया 3. अंकित पुत्र लक्ष्मण नि0 उपरोक्त थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विकास पुत्र सुरेश नि0 मंझरिया थाना मधुबनी राष्ट्र नेपाल के कब्जे से खेसीन कपड़ा व अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद कर थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त धीरेन्द्र यादव पुत्र हनुमान यादव नि0 सुण्डी मोड़ थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 24 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संतोष पुत्र विरेन्द्र यादव व संदीप पासवान पुत्र राजाराम नि0 राजाबारी थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 बोरी यूरिया व 02 बोरी चीनी बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 29/30.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 31 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।